संख्याः 1798/एक–10–2021–33(11)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, जालौन, बस्ती, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सीतापुर, गोण्डा, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर शहर, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, अमेठी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, कन्नौज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, महोबा, फर्रूखाबाद, अयोध्या, फतेहपुर एवं मथुरा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांकः 11 नवम्बर, 2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये **राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 11.11.2021 तक फीड किये गये 11,44,320 प्रभावित कृषकों के सापेक्ष जनपदों द्वारा कुल रू0 3,77,41,61,630 (रू0 तीन अरब सतहत्तर करोड़ इक्तालिस लाख इकसट्ठ हजार छः सौ तीस मात्र)की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष डाटा सत्यापित कर फीज किये गये 52 जनपदों के कुल 8,25,756 कृषकों को निम्न पांच शासनादेशों संख्या–1724/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 21.10.2021, शासनादेश संख्या–1754/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या–1766/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या–1779/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 29.10.2021 तथा शासनादेश संख्या–1790/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 03.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा 74,60,05,985/– (रू0 चौहत्तर करोड़ साठ लाख पांच हजार नौ सौ पच्चासी मात्र) की धनराशि अर्थात कुल रू0 2,82,09,61,149 (रू0 दो अरब बयासी करोड़ नौ लाख इक्सठ हजार एक सौ उन्चास मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।**

2– अतः उक्त वर्णित स्थिति में **अवशेष 2,98,496 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1,02,63,76,346/– (रू0 एक अरब दो करोड़ तिरसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ छियालिस मात्र) की धनराशि कालम–2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम–4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–**

क्रम सं0	जनपद का नाम	कृषकों की संख्या	प्रस्तावित धनराशि रू० में
1	2	3	4
1	ललितपुर	92941	452388577
2	खीरी	29535	117171390
3	बहराइच	21282	79889024
4	बलरामपुर	3412	4820588
5	जालौन	2710	3801408
6	बस्ती	1211	4396369
7	बाराबंकी	6490	17566852
8	अम्बेडकर नगर	919	644199
9	सीतापुर	7697	26028966
10	गोंडा	765	2997810

11	श्रावस्ती	9055	30667975
12	आजमगढ़	104	1002300
13	अलीगढ़	2334	6061879
14	कानपुर शहर	2678	5635373
15	मुरादाबाद	16290	42079531
16	बरेली	28049	67024311
17	हरदोई	8708	13420857
18	अमेठी	1041	2795693
19	मुजफ्फरनगर	78	520600
20	रामपुर	13545	45041382
21	कन्नौज	6296	16064304
22	मेरठ	472	2100208
23	उन्नाव	3143	11600959
24	बदायूं	10158	23017875
25	महोबा	27082	41557188
26	फर्रूखाबाद	2090	6059691
27	अयोध्या	236	548537
28	फतेहपुर	1	6156
29	मथुरा	174	1466344
	Grand Total	**2,98,496**	**1,02,63,76,346**
(रू0 एक अरब दो करोड़ तिरसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ छियालिस)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित

प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3 – उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **1,02,63,76,346/– (रू0 एक अरब दो करोड़ तिरसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ छियालिस मात्र) वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–02–बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।**

भवदीय,

11.11.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1798(1)/एक–10–2021–33(11)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

11.11.21

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-11/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1798
आवंटन आदेश संख्या:- 136-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	520600 751795	520600 751795
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2100208 3041657	2100208 3041657
3	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6061879 115470690	6061879 115470690
4	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1466344 1466344	1466344 1466344
5	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	67024311 105580324	67024311 105580324
6	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	23017875 30320216	23017875 30320216
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	42079531 64630930	42079531 64630930
8	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	45041382 70402458	45041382 70402458
9	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6059691 29099516	6059691 29099516
10	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5635373 31121538	5635373 31121538
11	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6156 2506156	6156 2506156
12	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3801408 57986192	3801408 57986192
13	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4396369 91441462	4396369 91441462
14	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1002300 60901073	1002300 60901073
15	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11600959 18293884	11600959 18293884
16	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	26028966 142026812	26028966 142026812
17	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13420857 31175376	13420857 31175376
18	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	117171390 340387906	117171390 340387906
19	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	548537 57548537	548537 57548537

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
20	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2997810 75907148	2997810 75907148
21	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	79889024 286775726	79889024 286775726
22	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17566852 105740313	17566852 105740313
23	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	452388577 753038992	452388577 753038992
24	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	41557188 59665942	41557188 59665942
25	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	644199 27685797	644199 27685797
26	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4820588 107988210	4820588 107988210
27	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16064304 17170307	16064304 17170307
28	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30667975 49910171	30667975 49910171
29	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2795693 8974202	2795693 8974202
	योग	वर्तमान प्रगामी	1026376346 2747009674	1026376346 2747009674

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब दो करोड़ तिरेसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ छियालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब चौहत्तर करोड़ सत्तर लाख नौ हजार छः सौ चौहत्तर

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।